

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

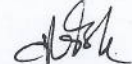
क्रमांक:- एफ.4(ई)(अति.कार्य)अलेसे-III/ ५५५७-५५५८ दिनांक :- 17/7/14

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 4 में अंकित कार्यालय में रिक्त कनिष्ठ लेखाकार के पद का कार्य भी अग्रिम आदेशों अथवा नियमित पदस्थापन, जो भी पहले हो तक सम्पादित करेंगे। कनिष्ठ लेखाकारों की कमी को ध्यान में रखते हुए उक्त व्यवस्था की गई है। अतः सम्बन्धित विभाग/कार्यालय सम्बन्धित कर्मचारियों को बिना विलम्ब के अतिरिक्त कार्य हेतु कार्यमुक्त करने का श्रम करे :-

क्र.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने वाले कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1	प्रियकान्त शर्मा, लेखाकार	सर्व शिक्षा अभियान, शाहपुरा, भीलवाड़ा	उपकोषालय, शाहपुरा, भीलवाड़ा
2	संतोष कुमार सैनी, 181/92, क.लेखाकार	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलवर	उप नगर नियोजक, अलवर
3	बृजेश कुमार, क.लेखाकार	उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, भरतपुर	उप नगर नियोजक, भरतपुर

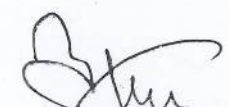
उक्त कार्मिकों को राजस्थान सेवा नियम 35 एवं 50 के अनुसार नियमानुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।


(वीरबाला जोशी)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(अति.कार्य)अलेसे-III/ ५५५९-५५५८ दिनांक :- 17/7/14
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्रीक0लेखाकार,कार्यालय.....का प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे सम्बन्धित कार्यालय में भी कार्य सम्पादित करें ।
3. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
4. उपनिदेशक(एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी/ रक्षित पत्रावली।


(अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)